PRESS CONFERENCE : NEW GST REFORMS

- स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में Next Generation Reform लाने के बारे में चर्चा की थी, यह सुधार----आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं के जीवन को स्वावलंबी बनाने के लिए हुए हैं.
- यह आम आदमी के जीवन को सुविधा और समृद्धि देने वाला उपहार है; अबकी बार पूरा देश स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प के साथ दीपावली मनाएगा— स्वदेशी से स्वावलंबन के दीप घर घर जलेंगे;
- गरीब आदमी की थाली से लेकर छोटे छोटे उधमियों के उत्पादों तक; बच्चों के पेन पेन्सिल से लेकर ट्रैक्टर और स्प्रिंकलर तक सामान्य उपयोग की हर वस्तु एक कोई खरीद सके---यह सुधार का ध्येय है
- प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वे भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों से जुड़ी किसी भी हानिकारक नीति के विरुद्ध दीवार की तरह खड़े रहेंगे और उनके हितों से जुड़े किसी भी समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रधानमन्त्री जी ने MSMEs, सहकारी समितियों, छोटे उद्योगों और ग़रीबों की क्षमता और संभावनाओं को पहचानते हुए देश के लिए बड़ी ताकत कहा था--- GST में बदलाव प्रधनमंत्री जी के उसी संकल्प को सिद्ध करने का एक साधन है
- मैं पुरे विश्वास से कह रहा हूँ कि ये प्रयास स्वदेशी से समृद्धि के संकल्प का स्वर्णिम अंग साबित होंगे--नए GST सुधार हमारी long live economy को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे—
- कृषि और ग्रामीण विकास एक नए स्वर्णिम दौर की तरफ जाएगा –नए GST रिफार्म -- स्वदेशी अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी की तरह काम करेंगे
- हमारे पास टैरिफ की हर बीमारी का स्वदेशी इलाज है क्योंकि हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरी है—देश के किसान, छोटे छोटे व्यापारी, गरीब उपभोक्ता, दिहाड़ी मजदुर, पशुपालक—ये सब हमारे राष्ट्र के प्राण हैं

BASIC INFO-

. 3 सितम्बर को GST परिषद् की 56 वी बैठक में निर्णय हुए--- जीएसटी को दो स्लैब संरचना (5% और 18%) में सरल बनाया गया

- **जीएसटी सुधारों ने घरेलू आवश्यक वस्तुओं (साबुन, टूथपेस्ट, भारतीय ब्रेड) पर कर घटाकर 5% या शून्य कर दिया, जिससे उपभोक्ता के सामर्थ्य में वृद्धि हुई**
- **जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें 12% से घटाकर शून्य या 5% कर दी गईं , जिससे स्वास्थ्य सेवा सस्ती हो गई**
- **किसानों के लिए ट्रैक्टर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मशीनों पर भी टैक्स 5% कर दिया गया है। बायो-पेस्टिसाइड और प्राकृतिक मेंथॉल भी 12% से घटाकर 5% पर आ गए हैं। इससे खेती की लागत कम होगी और टिकाऊ खेती को बढ़ावा मिलेगा।तम्बाकू, पान मसाला, वातित पेय और विलासिता की वस्तुओं पर 40% कर लगाया गया ।**
- **दोपहिया वाहन, छोटी कारें, टीवी, एसी, सीमेंट पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया , जिससे मध्यम वर्ग को राहत मिली।**

कृषि को प्रगतिशील और किसानों के जीवन को सशक्त बनाने वाले सुधार

- **कृषि हित में हमारी रणनीति है—उत्पादन बढे और लागत कम हो—GST reform इन दोनों ही उद्देश्यों को पूरा करेंगे—क्योंकि कम कीमत पर मशीनें-उर्वरक-दवाइयां मिलने से लागत कम होगी और सीमांत किसानों के लिए इन सुविधाओं के सस्ते दाम पर मिलने से उत्पादन निश्चित रूप से बढेगा**
- **देश में 10 करोड़ से अधिक सीमांत किसानों को gst सुधारों का सबसे ज्यादा फायदा होगा—**
- **पहले कोई किसान 9 लाख का ट्रैक्टर खरीदता था तो 12 प्रतिशत की दर से gst लगभग एक लाख रूपये होती थी लेकिन अब 5 प्रतिशत की दर से 45 हजार लगभग होगी यानि 65 हजार रूपये बचेंगे वो खेती के दुसरे कामों में-शिक्षा स्वास्थ्य जैसी जरूरतों में किसान खर्च कर सकेंगे**
- **इसी तरह ड्रिप इरिगेशन लगवाने पर 5 से 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की बचत होगी**

कृषि मशीनीकरण **को बढ़ावा—**

- ट्रैक्टरों **(<1800** सीसी**)** पर जीएसटी घटकर **5%** हो जाएगा

- जीएसटी कम होने से ट्रैक्टरों की खरीद कीमत कम हो जाएगी, जिससे वे छोटे और मध्यम किसान खरीद पाएंगे
- कम कीमतें कृषि में मशीनीकरण को बढ़ावा देंगी, जिससे किसानों को समय की बचत होगी, मैनुअल श्रम लागत कम होगी और फसल उत्पादकता में सुधार होगा।
- ट्रैक्टर के कलपुर्जे **(18% से 5%)** : ट्रैक्टर के टायर और ट्यूब, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप और कई अन्य ट्रैक्टर कलपुर्जे भी सस्ते हो जाएंगे।
- स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, कटाई मशीनरी, ट्रैक्टर पार्ट्स **(12%** से **5%** जीएसटी**)**
- **12%** से **5 %** : 15 एचपी से अधिक शक्ति के फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, कम्पोस्ट मशीन आदि।
- **18%** से **5%** : ट्रैक्टर टायर और ट्यूब, ट्रैक्टर के लिए हाइड्रोलिक पंप, कई ट्रैक्टर उपकरण
- छोटे और सीमांत किसानों द्वारा आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ~~आधुनिक कृषि उपकरणों~~ की लागत कम हो जाएगी , जिससे वे अधिक किफायती हो जाएंगे।

उर्वरक इनपुट

- अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड **(18%** से **5%** जीएसटी**)**
- उर्वरक उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा माल; दर में कटौती से उलटा शुल्क ढांचा **(**आईडीएस**)** सही हो गया है

जैव-कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्व

- **12** जैव-कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व **- (12%** से **5%)**
- जैव-आधारित इनपुट को अधिक किफायती बनाकर पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना ।
- किसानों को रासायनिक से जैव कीटनाशकों की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करना—प्राकृतिक खेती को बढ़ावा
- उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की अनुसूची 1, भाग (ए) के क्रम 1(जी) के अंतर्गत सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12% से 5% जीएसटी लगाया जाएगा।

फल, सब्जियां और खाद्य प्रसंस्करण

- तैयार/संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे **(12%** से **5%** जीएसटी**)**
- शीत भंडारण, खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में निवेश को प्रोत्साहित करता है ।
- इससे नाशवान वस्तुओं की बर्बादी कम होती है, तथा किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिलती है।
- प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कृषि -निर्यात केंद्र के रूप में भारत की स्थिति मजबूत होगी

<u>डेयरी क्षेत्र</u>

- **दूध और पनीर पर कोई जीएसटी नहीं—यानी मांग भी बढ़ेगी और आम आदमी बेहतर पोषण भी ले पाएगा**
- **मक्खन**, **घी**, **आदि** (12% **से** 5% **जीएसटी**)----**इसके कारण स्वदेशी उत्पादों की बिक्री बढ़ जाएगी**
- डेयरी किसानों के उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाकर उन्हें प्रत्यक्ष बढ़ावा दिया जाएगा ।
- कई किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए मवेशी पालते हैं, इसलिए जीएसटी में कटौती से किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी---महिला उधमी सशक्त होंगी और पोषण को बढ़ावा मिलेगा--दूध के डिब्बों पर जीएसटी **12%** से घटाकर **5%** किया गया (लोहे, स्टील या एल्युमीनियम से बने डिब्बे)।

<u>जलीय कृषि</u>----'तैयार या संरक्षित मछली' पर कर की दर में कमी (12% से 5%) से देश भर में जलीय कृषि और विशेष रूप से मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

प्राकृतिक शहद पर जीएसटी कम होगा**----** मधुमक्खी पालकों**,** जनजातीय समुदायों और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों को सीधा लाभ होगा , जो प्राकृतिक शहद के प्रमुख उत्पादक हैं।

ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी 12% से घटकर **5%** होगा---सस्ते सौर ऊर्जा आधारित उपकरणों से सिंचाई लागत कम होगी और किसानों को सहायता मिलेगी।

केंदू पत्ते **(18%** से **5%)---केंदू पत्ते लघु वनोपज हैं जो उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के किसानों और आदिवासियों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत हैं इन राज्यों की आजीविका आंशिक रूप से इन पत्तों की कीमतों पर निर्भर करती है जीएसटी की दर में कमी से इन क्षेत्रों के आदिवासियों और किसानों को लाभ होगा**

ग्रामीण विकास की रफ़्तार और भी तेज होगी

- **सीमेंट: 28% → 18% ---सीमेंट INFRASTRUCTURE का आधार है—इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्यों में तेजी आएगी--- स्टोरेज बनना हो या सड़क निर्माण सभी क्षेत्रों में लाभ होगा**
- **संगमरमर/ट्रैवर्टीन ब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूना ईंटें: 12% → 5%**
- **बांस फर्श / बढई का सामान, पैकिंग केस और पैलेट (लकड़ी): 12% → 5%**
- ईंटों के निर्माण के लिए जॉब वर्क की आपूर्ति, जिस पर 5% **GST** लगता है (12% से 5%) ईंटों के निर्माण की लागत में कमी आने की उम्मीद है, जो निर्माण गतिविधियों के लिए एक आवश्यक सामग्री है।
- **गाँव की अर्थव्यवस्था मजबूत**---खेती और डेयरी की लागत घटने से किसानों के हाथ में अधिक बचत होगी।
- किसान अधिक खर्च गाँव में ही करेंगे → स्थानीय बाज़ार, दुकानों और सेवाओं की मांग बढ़ेगी
- **ग्रामीण खपत में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद---दैनिक आवश्यक वस्तुओं और उपभोग वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर जीएसटी दरों को 18% या 12% से घटाकर 5% या शून्य करने से ग्रामीण मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। ग्रामीण खपत बढ़ने से देश में जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी.**
- **ग्रामीण आजीविका और रोज़गार** को बढ़ावा देना**----** खाद्य पदार्थों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, हस्तशिल्प, चमड़े के सामान आदि पर **GST** दरों को युक्तिसंगत बनाने और कम करने से ग्रामीण कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों (**SHG)** और ग्रामीण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों को इन उत्पादों के निर्माण का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अधिक अवसर और आय का सृजन होगा।

- **नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर आजीविका के नए अवसरों का सृजन** जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने से नए बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना, सौर ऊर्जा जनरेटर का निर्माण, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र, **solar** लालटेन/लैंप, फोटोवोल्टिक सेल आदि के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूहों (**SHGs)** और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देकर आजीविका के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
- **किफायती स्वास्थ्य सेवा से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी को लाभ** आवश्यक चिकित्सा उपकरणों/उपकरणों/निदान किटों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% करने और 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी दर को शून्य करने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आम आदमी सहित सभी को लाभ होगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर भी—सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा --निर्माण लागत में कमी और तेजी से पूर्णता------सीमेंट पर **GST** कटौती के कारण आवास की नींव, दीवार और छत की लागत में संभावित कमी आ सकती है।

- ईंट जॉब-वर्क **5%** पर आने से स्थानीय स्तर पर ईंट की उपलब्धता सस्ती होगी और निर्माण में संभावित तेजी आएगी, ट्रांसपोर्ट लागत घटने से दूर-दराज़ ग्राम पंचायतों तक सामग्री पहुँचाना आसान होगा।

खिलौने, खेल और हस्तशिल्प ---

मानव निर्मित फाइबर के लिए शुल्क ढांचा तय करने **से** वस्त्र उद्योग **की प्रतिस्पर्धात्मक ता**, विशेषकर निर्यात में, में सुधार होगा। इस क्षेत्र में इन्वर्टेड शुल्क संरचना को मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत—किया इसके अतिरिक्त, हस्तशिल्प पर निम्न जीएसटी दर कारीगरों की आजीविका मेंसहायता करेगी, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करेगी और **ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ावा** देगी।

- हस्तशिल्प की मूर्तियों और प्रतिमाओं पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**
- पेंटिंग, मूर्तियों पर जीएसटी दर **12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई**

<u>हमें देशवासियों की सेहत की भी चिंता है और बच्चों की किताबों की भी</u>

0% जीएसटी वाले आइटम

- **दूध पनीर रोटी परांठा आदि खाद्य सामग्री पर**
- **सभी जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी रेट 0 कर दी गई है।**
- **33 जीवन रक्षक दवाएँ पर अब जीएसटी रेट 12% से घटाकर 0 कर दी गई है।**
- **कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी जीएसटी 5% से घटाकर 0 कर दी गई है।**
- **मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन – 12% से घटाकर 0%**
- **रबर, नक्शे, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल, कॉपी और नोटबुक – 12% से घटाकर 0%**

<u>आम आदमी को इनसे होने वाला लाभ</u>

- **10 हजार प्रीमियम वाले हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस पर अब सीधे 1800 की बचत होगी, क्योंकि इस पर 18% टैक्स को घटाकर शून्य कर दिया गया है।**
- **एसी खरीदने पर भी 1500 से 2500 रुपए बच सकते हैं, क्योंकि इस पर GST की दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं।**
- **32 इंच से ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाली टीवी खरीदने पर भी 2500 से 3500 रुपए बच सकते हैं, क्योंकि इस पर भी GST दरें 28% से घटाकर 18% की गई हैं।**
- **सरकार ने सीमेंट और अन्य कंस्ट्रक्शन के सामान पर GST घटाया है, इससे 20 लाख का घर बनवाने पर करीब 50 हजार तक की बचत हो सकती है।**

<u>GST सुधार के व्यापक लाभ---स्वदेशी अर्थव्यवस्था को नए पंख लगेंगे</u>

- **भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बनेंगे**---टैक्स घटने से कृषि और डेयरी आधारित वस्तुएँ सस्ती होंगी, स्वदेशी उत्पाद बाज़ार में विदेशी वस्तुओं की तुलना में अधिक आकर्षक बनेंगे।
- **MSMEs और स्थानीय उद्योगों को लाभ**, गाँव और कस्बों में छोटे उद्योगों की लागत कम होगी, स्थानीय उत्पादन और प्रोसेसिंग यूनिट्स तेज़ी से बढ़ेंगी।
- **आयात पर निर्भरता घटेगी**---जब देश में ही मशीनरी, खाद्य पदार्थ और कृषि उपकरण सस्ते मिलेंगे तो आयात की ज़रूरत कम होगी, इससे स्वदेशी उत्पादों की माँग बढ़ेगी।
- **ग्रामीण कुटीर उद्योग को बल**---दूध, पनीर, बटर और अन्य कृषि उत्पादों पर टैक्स राहत से ग्रामीण सहकारी समितियाँ और महिला SHGs मज़बूत होंगी, इससे गाँव में बने उत्पाद शहर और देशभर में आसानी से बिक सकेंगे।

- ‘**मेक इन इंडिया**’ और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा टैक्स सरल होने से निवेश बढ़ेगा, विदेशी कंपनियों की बजाय भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा।
- यह कटौती **इनवर्टेड ड्यूटी (inverted duty)** समस्याओं को दूर करने में मदद करेगी और उर्वरकों तथा अन्य कृषि इनपुट्स को सस्ता बनाने से **उत्पादकता में वृद्धि** की उम्मीद है